न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–399/17 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2017/ 00421)

बच्चू पुत्र वेनीराम जाति लोधा निवासी डोगरपुर थाना मनियां तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 2.5.2017 बाबत निरस्त किये जाने मृतक शस्त्र स्थानान्तरण अनुज्ञपत्र।

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य

दिनांकः 16.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 2.5.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री बैनीराम के नाम एक शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 20/1981 जारी किया गया था। जिस पर 306 बोर शस्त्र संख्या 339887 दर्ज है। अपीलान्ट के पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 20.3.2007 हो जाने पर अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है इसलिऐ मेरे पिता के उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को मेरे नाम स्थानान्तरण किया जावे। शस्त्र अनुज्ञापत्र संबधित समस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्तियां प्रार्थी द्वारा की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक ने स्थानान्तरण करने की अनुषंशा नही की। इसी आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री बैनीराम के नाम एक शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 20/1981 जारी किया गया था। जिस पर 306 बोर शस्त्र संख्या 339887 दर्ज है। अपीलान्ट के पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 20.3.2007 हो जाने पर अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है इसलिऐ मेरे पिता के उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को मेरे नाम स्थानान्तरण किया जावे। इस संबध में अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष शस्त्र अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण संबधित समस्त पूर्तियां भी की जा चुकी है। समस्त विभागों से भी तहत अदालत द्वारा रिपोर्ट तलब की जा चुकी है और सभी विभागों के द्वारा रिपोर्ट भी सकारात्मक दी गई है बाबजूद इसके तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण खारिज कर दिया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। तहत अदालत ने आज्ञा देने से पूर्व सी0आई0डी0 द्वारा अपीलान्ट के संबध में भेजी गई रिपोर्ट का कतई अवलोकन नहीं किया । इस रिपोर्ट में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने बाबत कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की गई है। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट मात्र कयासों पर आधारित है जिस पर विश्वास करने तहत अदालत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करके कानूनी भूल की है। स्वयं तहत अदालत द्वारा तलब की गई अन्य विभागों की रिपोर्टों का भी कतई अवलोकन नहीं किया गया है जबकि किसी भी विभाग ने अपीलान्ट के संबध में कोई भी नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी तहत अदालत ने मात्र कयासों के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण किये जाने के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट के मृतक पिता की बन्दुक आज भी जमा थाना है बाबजूद इसके मनमाने तरीके से तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.5.2017 पारित कर दिया गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अपीलान्ट एक सामाजिक व्यक्ति है जिसका चरित्र साफ–सुथरा है इस तथ्य की ताईद में अपीलान्ट के पक्ष में सभी अन्य विभागों की जॉच रिपोर्टें रिकार्ड पर उपलब्ध है किसी भी रिपोर्ट में ऐसी कोई तथ्य नही है जिससे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र स्थानान्तरित नही किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत् नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 2.5.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के मृतक पिता का शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलान्ट के नाम स्थानान्तरण किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.5.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर रिकार्ड के परिपेक्ष्य में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है क्यों कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के स्थानान्तरण के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) भरतपुर से जॉच कराई गई। उनके द्वारा अपीलान्ट के संबध में नकारात्मक रिपोर्ट भिजवायी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) भरतपुर द्वारा रिपोर्ट कमांक 132 दिनांक 15.1.2009 में यह स्पष्ट किया है कि '' ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति हथियार की देखभाल व परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पायेगा '' । ऐसी स्थिति में अनुज्ञा पत्र को अपीलान्ट के हक में स्थानान्तरण किया जाना उचित नही था। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.1.2009 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। दौराने रिकार्ड अवलोकन अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री बैनीराम के नाम एक शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 20/1981 जारी किया गया था। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.3.2007 हो जाने पर अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण किये जाने हेतु तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर तहत अदालत ने नियमानुसार संबधित विभागों से सूचना तलब करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत पत्रावली में संलग्न कार्यालय टिप्पणी दिनांक 3.2.2017 का अवलोकन किया गया जिसमें अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने बाबत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट/दस्तावेज की स्थिति दर्शायी गई है। जिसके कॉलम संख्या 1 लगायत 11 में किसी में भी ऐसी कोई टिप्पणी अथवा दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया है जिससे अपीलान्ट के नाम अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण किये जाने में कोई कानूनी बाधा आ रही हो। कॉलम संख्या 4 में भी अपीलान्ट की हैसियत, आचरण, आम सौहरत को ठीक बताया जाकर आपराधिक पृष्ठभूमि का भी नहीं माना है फिर ये अंकित किया जाना कि "प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति हथियार की देखभाल व परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पायेगा" बिना किसी ठोस आधार के अंकित किया जाना स्पष्ट है। तहत अदालत द्वारा भी उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब किया जाना मुनासिब नहीं समझा जिससे वास्तविक स्थिति से रूबरू हुआ जा सकता था। इसके अलावा कॉलम संख्या 4 की टिप्पणी में भी अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण न किये जाने बाबत स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदक/अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, चाल चलन ठीक है, सजायाप्ता नही है, हिस्ट्रीशीटर नही है। अन्य विभागों द्वारा भी अपीलान्ट के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। तहत अदालत यदि सी0आई0डी0 की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं थी तो स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने में पूर्णतः सक्षम थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों में एक भी रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध नही है। सभी दस्तावेजों में अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरण में कोई रूकावट हो, ऐसा प्रतीत नही होता है। हम तहत अदालत के निर्णय से सहमत नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सभी दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में पुनः विचार किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2.5.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात पर गौर करते हुऐ पुलिस विभाग से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official